PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FRONT ELEVATION

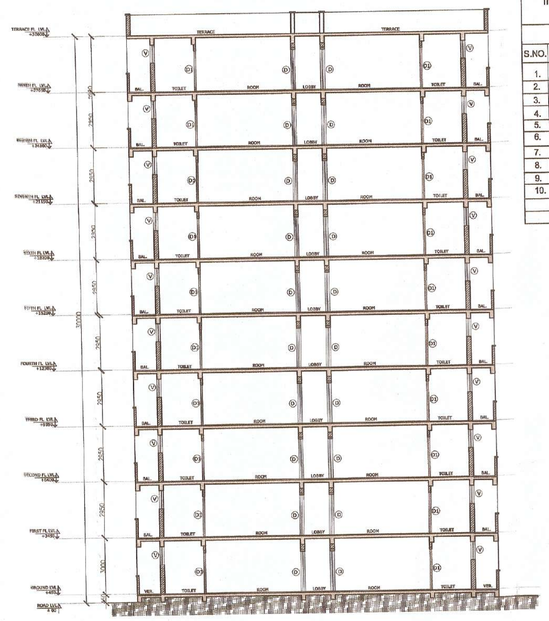

SECTION AA

LEFT HAND SIDE ELEVATION

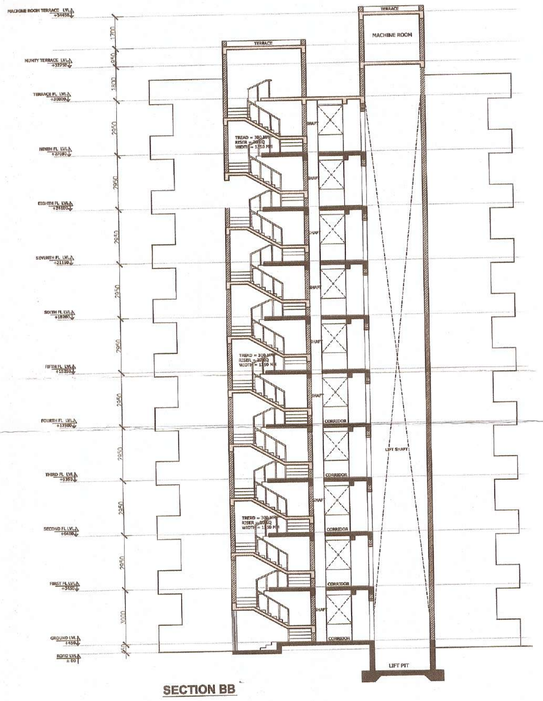

SECTION BB

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT
PROPOSED GROUP HOUSING- 6 (EWS/LIG) AT KHASRA NO. 148,151 VILLAGE SARSAWAN, IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD , LUCKNOW U.P.

DOOR AND WINDOW SCHEDULE

S.NO.	TYPE	OPENING SIZE	SILL	LINTEL	REMARKS
1.	D	1000 X 2170	00	2170	
2.	D1	900 X 2170	00	2170	
3.	D2	750 X 2170	00	2170	
4.	D3	1200 X 2170	00	2150	
5.	DW	2000 X 2450	00/900	2450	
6.	W	1200 X 1550	900	2450	
7.	W1	900 X 1450	1000	2450	
8.	W2	1200 X 1250	900	2150	
9.	W3	1900 X 1550	900	2450	
10.	V	600 X 950	1500	2450	

प्रतिबन्ध

1 ईवाब्स्कुएएस0/एलआईजी/ए0डब्लू0यू0 भवनों का आवंटन शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से नियमानुसार कराना होगा।

2 पेयजल/स्वास्थ्य तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के बिन बसना नगर का स्वामित्व प्राप्त सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

3 संलग्नित शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार दूसरोपरान्त अभिवार्य होगा।

4 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प रिरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग व डिजाईन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, कार्ड्आर्डटी0 लखनऊ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एन0ए0 इस्थाल से वैट कराकर प्रस्तुत की है। तदनुसार स्थल पर निर्माण कार्य कराना होगा।

5 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

6 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के अनापत्ति पत्र संख्या-प-1946/एफएस/2014 दिनांक 19.01.2018 निर्देशों का पालन करना होगा।

7 पर्याप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

9 लेबर एक्ट का अनुपालन करना होगा। उक्त निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

10 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।

11 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।

12 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा माँगे जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।

13 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा लिखी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

14 जिलाधिकारी, लखनऊ का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मंदिर का निर्माण करना होगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिकारी निबंधित कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 42742
दिनांक 22-12-2017
स्वीकृत की वैधता दि0 21-12-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

पत्र सं0 प-1946/FS/2014
दिनांक 19-01-18 की शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया।
(शान्तनु कुमार यादव)
अग्निशमन अधिकारी
गोमती नगर, लखनऊ
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

DRAWING TITLE
SUBMISSION DRAWING
L.I.G.
PLANS AND AREA DEATILS

DEALT BY	CHECKED BY
SCALE	DATE DEC, 17

ARCHITECT

CLIENT/ OWNERS
OMAXE
Turning dreams into reality

MD. AMANULLAH
ARCHITECT
C.A No. 2012/54539
ARCHITECT'S SIGNATURES

OMAXE LIMITED
OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- EWS/LIG/SUB-05/7

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT